न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:- अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 33/2010

टी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2010/00053

वादीगण	बनाम	प्रतिवादी
1.पाबूदानसिंह पुत्र पदमसिंह 2.शैतानसिंह पुत्र पदमसिंह जाति राजपुरोहित निवासी खटटू तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा		1.रामसिंह के कायम मुकाम 1/1.हिन्दूसिंह पुत्र रामसिंह 1/2.नरपतसिंह पुत्र रामसिंह 1/3.प्रहलादसिंह पुत्र रामसिंह 1/4.बुधसिंह पुत्र रामसिंह 1/5.मलसिंह पुत्र रामसिंह 1/6.पकसिंह पुत्र रामसिंह 1/7.राधादेवी पुत्री रामसिंह 1/8.सुजादेवी पुत्री रामसिंह 1/9.तुलसीयादेवी पुत्री रामसिंह 1/10.देवी पुत्री रामसिंह जाति राजपुरोहित निवासी खटटू तहसील पचपदरा जिला बालोतरा 2.राजस्थान सरकार जरीए तहसीलदार पचपदरा

<u>राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

<u>उपस्थिति</u>

1.श्री अचलाराम थोरी अधिवक्ता वादीगण

2.श्री ओमप्रकाश डाबी अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/6

3. प्रतिवादी संख्या 1/7 से 1/10 व प्रतिवादी संख्या 02 एकतरफा

सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

<u>निर्णय</u>

दिनांक– 23/02/2026

संक्षिप्त मे वाद के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि सरहद मौजा खटटू तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 641/361 व 307,348 व 628/308 भूमि के संबंध मे प्रस्तुत वाद दिनांक 18.7.2025 को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार पचपदरा को मौके पर जाकर वादग्रस्त भूमि का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु अधिकृत किया गया था। तहसीलदार पचपदरा द्वारा माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार मौके का विभाजन

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करवाया। वादी अधिवक्ता बंटवाड़ा प्रस्ताव अनुरूप अंतिम डिक्री जारी करवाने पर सहमत है,तदनुसार माफिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार अंतिम डिक्री जारी की जानी उचित प्रतीत होता है।

लिहाजा वादीगण का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर वास्ते मौजा खदड़ू, तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 641/361 व 307,348 व 628/308 भूमि के संबंध में विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

क्र. सं.	नाम खातेदारान	गांव का नाम	ख.सं.	क्षेत्रफल (हैक्ट.)	किस्म	बरंग
1	पाबुदानसिंह हि.1/3 शंकरसिंह हि. 1/3 शैतानसिंह हि. 1/3 पि. पदमसिंह कौम पुरोहित सा.देह खातेदार नोटः–जमाबंदी अनुसार बदस्तुर नोट सं.7, 46	शिवनगर (खदड़ू)	307 628/308 348 641/361 641/361	0.0243 3.4237 4.6174 4.6005 2.7162	गै.मु.छाणी बा.दो. बा.दो. बा .सो. बा.सो.	हरा
2	रामसिंह पुत्र चिमनसिंह(फौत) के कायम मुकाम (1)हिन्दुसिंह (2)नरपतसिंह (3) प्रहलादसिंह (4)बुधसिंह(5)मलसिंह (6)पकसिंह पि.रामसिंह (7) राधादेवी (8)सुजादेवी (9) तुलसीयादेवी (10)देवी पुत्रिया रामसिंह जाति पुरोहित सा. देह खातेदार रहन स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर। नोटः–जमाबंदी अनुसार बदस्तुर नोट सं. 7, 46।।	शिवनगर (खदड़ू)	628/308 348 641/361 641/361	3.4479 4.6175 4.6005 2.7162	बा.दो. बा.दो. बा.सो. बा.सो.	नारंगी

तहसीलदार,पचपदरा को आदेशित किया जाता है,कि वह उपरोक्तानुसार नामान्तकरण भरकर बाद जांच तस्दीक करें,संलग्न नामान्तकरण की पुश्त पर तरमीम अंकित करे,राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत रुप से अमल दरामद की कार्यवाही करें। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा। डिग्री पर्चा-मुर्तिब जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना –अपना वहन करें ।

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

23/02/2026

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 23/2/2026 को लिखा जाकर सार–ए–इजलास सुनाया गया।

23/02/2026

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

मूलवाद में अंतिम डिक्री
न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः— अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 33/2019

जी.सी.एम.एस. नम्बर :— 2019/00053

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1.पाबूदानसिंह पुत्र पदमसिंह 2.शैतानसिंह पुत्र पदमसिंह जाति राजपुरोहित निवासी खटटू तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा		1.रामसिंह के कायम मुकाम 1/1.हिन्दूसिंह पुत्र रामसिंह 1/2.नरपतसिंह पुत्र रामसिंह 1/3.प्रहलादसिंह पुत्र रामसिंह 1/4.बुधसिंह पुत्र रामसिंह 1/5.मलसिंह पुत्र रामसिंह 1/6.पकसिंह पुत्र रामसिंह 1/7.राधादेवी पुत्री रामसिंह 1/8.सुजादेवी पुत्री रामसिंह 1/9.तुसीयादेवी पुत्री रामसिंह 1/10.देवी पुत्री रामसिंह जाति राजपुरोहित निवासी खटटू तहसील पचपदरा जिला बालोतरा 2.राजस्थान सरकार जरीए तहसीलदार पचपदरा

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धाराः—88,53,188 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बर :33/2019

निर्णय दिनांक :— 23.2.2026

वादी की ओर से श्री अचलाराम थोरी अधिवक्ता की उपस्थिति एवं प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/6 की ओर से श्री ओमप्रकाश डाबी अधिवक्ता की उपस्थिति एवं प्रतिवादी संख्या 1/7 से 1/10 व 02 एकतरफा में इस वाद में आज तारीख 23.2.2026 को श्री अशोक कुमार (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर,निर्णय किया जाता है और **डिक्री दी जाती है किः**—वादीगण का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 23.2.2026 मे अंकित अनुसार भूमि उनकी खातेदारी में पृथक से धोषित की जाती है। तहसीलदार पचपदरा को आदेश

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

दिये जाते है,कि वह मुताबिक निर्णय अनुसार नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।
यह आज तारीख 23.2.2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(अशोक कुमार) 23/02/2026
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादीगण	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3.प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4..........रूपये पर प्लीडर की फीस 5.साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6.कमिश्नर की फीस 7.आदेशिका की तामिल	-------	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 2.अर्जी के लिए स्टाम्प 3.प्लीडर की फीस 4.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय 5.आदेशिका की तामील 6.कमिश्नर की फीस	----------
जोड़	-----	जोड़	----------

23/02/2026
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा